

भारतीय महिलाएँ एवं मानवाधिकार: एक अध्ययन

डॉ. रंजना महावर*

प्रस्तावना

संविधान द्वारा मानव को प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक उचित सामाजिक वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। समाज में मानव अधिकारों के प्रति सकारात्मक सोच तथा अनुकूल परिवेश मानव के अधिकारों की आपूर्ति के लिए अनिवार्य होते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार हर व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अपरिहार्य है। मानव अधिकार या अन्य न्यायिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गए हैं, देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, को मानव अधिकार माना जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। विश्व की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवनमूल्यों और आदर्शों का आधार ही मानव अधिकार है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों को इसी भावना से दिया गया है। मानवाधिकारों को कभी-कभी मूल अधिकार, अन्तर्निहित या जन्मजात अधिकार, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार, आधारभूत अधिकार आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है

महिला मानवाधिकार

वैश्विक स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था जैसे-जैसे सुदृढ़ होती गई महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम में भी तेजी आती गई। विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार, अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतंत्रता, पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरुषों के बराबर लाया गया, बल्कि जहाँ कहीं आवश्यकता थी, वहाँ उनकी निष्ठा व सम्मान की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किये गए।

महिला मानवाधिकारों में महिला को मानव के रूप में प्राप्त अधिकारों सहित वे अधिकार भी सम्मिलित हैं, जो एक महिला को महिला होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। वैश्विक स्तर पर इनकी स्वीकृति हेतु महिला को एक लम्बे संघर्ष से गुजरना पड़ा तब कहीं जाकर महिला को मानव के रूप में स्वीकृति सम्भव हुई और वे समस्त अधिकार जो कि एक पुरुष के क्षेत्र की वस्तु माने जाते थे महिला को भी प्राप्त हुए। भारत में महिला को अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु अनेक सदियों से गुजरना पड़ा। यद्यपि भारत में वैदिक कालीन नारी को कुछ अधिकार प्राप्त थे, उसे कई मामलों में पुरुष के समकक्ष स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में कई विदुषी स्त्रियों के नाम लिये जा सकते हैं जिन्होंने पुरुष के समान शिक्षा ग्रहण की और समाज को प्रभावित किया। तथापि इस कालखण्ड को छोड़कर भारतीय महिला के अधिकारों का सदैव हनन हुआ।

* पी.डी.एफ. (आई.सी.एस.एस.आर.), समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

भारत में मानवाधिकारों का विकास एक जटिल, संगठित प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ है। हमारी परम्परा, विविध संस्कृतियों के जटिल आदर्शों एवं दर्शनों ने मिलकर एक समन्वित मानव अधिकार का विकास किया है।

भारत में भी महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए काफी लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है सदैव से भारत में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अधिकार विहीनता, रूढ़िवादिता समाज का अंग रहा है। महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति इस मायने में निराशाजनक है कि उनके मूल अधिकारों का भारतीय समाज और राजनीति की कुलपितागत संस्कृति और संस्कृति का उल्लंघन है। महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करना असंभव हो सकता है, चल रहे अपराध और परिवार की चार दीवारों के भीतर महिलाओं के लिए उनके मानवाधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सुनिश्चित किया जाना है और केवल तब ही हम नए सहस्राब्दी में एक समृद्ध महिला के बारे में सोच सकते हैं।

भारतीय महिलाओं के मानवाधिकारों के सन्दर्भ में निम्न बातें चिंता का विषय हैं—

- घरेलू हिंसा
- बाल विवाह
- बलात्कार और यौन उत्पीड़न
- बाल यौन दुर्व्यवहार
- वैवाहिक विवाद, हिरासत, तलाक
- कार्यस्थल और शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न
- गर्भभ्रम का जन्म, पूर्व लिंग चयन और उन्मूलन
- महिलाओं की सम्पत्ति और विरासत अधिकार
- महिला/किशोरावस्था के बच्चों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य अधिकार
- महिलाओं के खिलाफ 'सम्मान' आधारित अपराध/सम्मान हत्या
- महिलाओं और श्रम अधिकारों के लिए समान रोजगार के अवसर
- कोई लिंग आधारित भेदभाव/शोषण

भारत महिलाओं के लिए उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में प्रदान किये जाते हैं। दूसरी तरफ, कानूनी अधिकार, संसद के विभिन्न कानूनों और राज्य विधान मण्डलों में प्रदान किए गये हैं।

महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा उपाय निम्न है—

- राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा (अनुच्छेद 15(1))।
- राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए सक्षम बनाता है।(अनुच्छेद 15(3))
- राज्य पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान रूप से निर्धारण करेगा।(अनुच्छेद 39(ए))
- राज्य दोनों भारतीय पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा।(अनुच्छेद 39(डी))

- राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वो सम्मान के साथ जीवन जी सकें।(अनुच्छेद 39(ई))
- राज्य महिलाओं के लिए कार्य और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित रखने के लिए प्रावधान करेगा।(अनुच्छेद 42)
- महिलाओं की गरिमा को चोट पहुँचाने वाली और अपमानजनक प्रथाओं को मिटाना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा(अनुच्छेद 51-ए(ई))
- प्रत्येक पंचायत में सीधे चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243-डी(3))
- प्रत्येक नगरपालिका में चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।(अनुच्छेद 243-टी(3))

महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून

महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कानूनों का प्रावधान है—

- **घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)**— यह अधिनियम महिलाओं के संरक्षण घरेलू हिंसा के सभी तरीकों से भारत में महिलाओं की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्यवहार की शिकार हैं और किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से प्रताड़ित है।
- **महिलाओं की तस्करी (रोकथाम) अधिनियम (1956)**— इसमें वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए कानून है। यह महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है और महिलाओं को वेश्यावृत्ति के धंधे लगाने पर लगाम लगाता है।
- **सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम (1987)** — यह कानून सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोकथाम प्रदान करता है और महिलाओं की महिमा और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक है।
- **दहेज निषेध अधिनियम(1961)** — इस अधिनियम में महिलाओं से शादी के बाद या उससे पहले या किसी भी समय दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध है।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)** — बाल जन्म से पहले और उसके बाद निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियमन करता है तथा मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभ प्रदान करता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)** — समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रदान करता है।
- **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)** — यह अधिनियम निर्देशित करता है कि आज एक लड़की को भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति में लड़के की भाँति अधिकार प्राप्त है। जितना कि पुत्र यानि कि जहाँ तक पिता का सम्पत्ति का सवाल है लड़का एवं लड़की दोनों ही बराबर के उत्तराधिकारी है।
- **हिन्दू विवाह अधिनियम (1956)**— शादी और तलाक के सम्बन्ध में इस अधिनियम में भारतीय पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किया गया है।
- **मुस्लिम विवाह अधिनियम (1939)**— यह अधिनियम मुस्लिम पत्नी को उसके विवाह के विघटन की तलाश करने का अधिकार प्रदान करता है।

- **मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (1986)**— यह अधिनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है जो तलाकशुदा हैं।
- **भारतीय दण्ड संहिता(1860)**— इस अधिनियम में दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से भारतीय महिलाओं की रक्षा के प्रावधान हैं।
- **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम(1987)**— यह अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम(1948)**— यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव या महिलाओं के लिए पुरुषों से कम मजदूरी की अनुमति नहीं देता है।
- **खदान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948)**— यह अधिनियम सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे के बीच महिलाओं के रोजगार का निर्धारण करता है। इस अधिनियम में उक्त समय में खानों और कारखानों में और उनकी सुरक्षा एवं कल्याण के अधिकार की बात कही गई है।
- **विशेष विवाह अधिनियम (1954)**— इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ धार्मिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किये बगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।
- **आपराधिक कानून अधिनियम(1961)**— इस अधिनियम के तहत महिलाओं को ऐसे अधिकार और विशेष रियायतें दी गई हैं कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013)** — सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में, सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है चाहे वे संगठित हो या असंगठित हो।

विधिक उपबन्ध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके।

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधान— भारतीय दण्ड संहिता में भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है।
- धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गई है। इसके अनुसार कोई स्त्रियों की अश्लील तस्वीरें प्रदर्शित करता है अथवा क्रय विक्रय करता है अथवा भद्दा प्रदर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा एवं 2 हजार रूपया तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान है।
- धारा 312 से 318 में गर्भपात कारित करना, अजन्में शिशुओं को नुकसान पहुँचाने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 354 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता से बिना सम्मति के या बहला फुसलाकर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा।

- धारा 372 के तहत किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचा जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।
- धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में बलात्कार के लिए दण्ड का प्रावधान है।
- धारा 498(अ) में प्रावधानित किया गया है कि अगर कोई पति अथवा उसका कोई रिश्तेदार विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है तो न्यायालय उसे 2 साल तक की सजा दे सकता है।
- धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकान्तता पर अतिक्रमण होता है तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई विकास कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं—

- **ड्वाकरा योजना (1982)** — यह ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार और शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएँ प्रदान करता है।
- **किशोरी बालिका योजना (1992)** — यह गरीब परिवार की बालिकाओं के उचित स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करता है।
- **मातृ एवं शिशु कार्यक्रम (1992)** — यह शिशुओं और माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर सुरक्षित मातृत्व एवं टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं की मृत्युदर में कमी लाने की व्यवस्था करता है।
- **महिला समृद्धि योजना (1993)** — यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय महिला कोष योजनाएँ (1993)** — यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है।
- **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1994)** — यह गरीब महिलाओं को प्रसूति के लिए सहायता प्रदान करती है।
- **इन्दिरा गांधी योजना (1995)** — यह ग्रामीण और शहरी बस्ती की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करती है।
- **महिला स्त्री शक्ति योजना (1998)** — यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है।

सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जाता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 1958 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई और प्रत्येक राज्य में बोर्ड से संबंधित संगठन स्त्री शिक्षा, नौकरी एवं महिला कल्याण को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। भारत में 1999 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्यों में भी राज्य महिला आयोगों की स्थापना की गई।

महिला अधिकारों के लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति (2000) के तहत एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि उद्योग, अर्थव्यवस्था में स्थिति का आंकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में

महिलाओं की स्थिति, बालिका प्रस्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई तथा देश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया।

भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकता आज भी देखी जा सकती है कि विवाह, तलाक, काम, सम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभावात्मकता न किया गया है। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नहीं है। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। व्यावहारिक स्वरूप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरुद्ध संघर्ष के लिए और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए दीर्घकालीन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत है। समाचार पत्र समूह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। हम सभी को गांधीजी के इस विचार को याद रखने की आवश्यकता है कि “स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो” और साथ ही महिलाओं को अपने जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं के अधिकारों में कहीं भी कमी नहीं है लेकिन व्यावहारिकता में कोसो दूर देखा जा रहा है।

निष्कर्ष

महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाये गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम हैं, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह – विच्छेद व तलाक अधिनियम, वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पर्याप्त अन्तर आया है, फिर भी बहुत सी कमियाँ हैं, जिनकी वजह से इन कानूनों का लाभ महिलाएँ नहीं उठा पाती—

- पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाये जाते, चाहे पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव जिसके चलते बहुत सी घटनाएँ परिवार की चारदीवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं।
- महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून एवं अधिनियम हैं, किन्तु लोगों को विशेषकर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। अतः ऐसे कानूनों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार या जानकारी समय-समय पर महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए।
- घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में महिलाएँ आगे नहीं आती, यदि पीड़ित महिलाएँ ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाना भी चाहे तो समाज में इसे उचित नहीं माना जाता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
- देश में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है, मगर इसके बावजूद भी लोकसभा, राज्य विधान मण्डलों में उनका प्रतिनिधित्व घोर निराशाजनक है। अतः राजनीति में भी महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

- लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाएँ प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। विकसित देशों की लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है।
- महिलाओं में साक्षरता दर भी काफी कम है। शिक्षा का कम होना भी महिलाओं के प्रति अत्याचार का कारण है।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने में गैर-सरकारी संगठन अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए तथा महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं आदि को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्ण राज : वीमेन एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया, अजंत पब्लिकेशंस दिल्ली, 1987
2. रमा शर्मा व एम.के. मिश्रा : भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
3. डॉ. मंजुलता छिल्लर : भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010
4. प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी : भारत में मानवाधिकार, आयोग, पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
5. डॉ. प्रज्ञा शर्मा : भारतीय समाज में नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010
6. आशा कौशिक : मानवाधिकार और राज्य : बदलते सन्दर्भ, उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2004
7. डॉ. जय नारायण पाण्डेय : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली, 41वां संस्करण 2008
8. राम आहुजा : क्राइम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 1987।

